

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल  
क्रमांक 13160/21/एम.सी/5/16

भोपाल, दिनांक /05/17/05/2016

//आदेश//

कार्यमार्ग ग्रहण  
1/08/96  
अनिवार्य है एवं  
जायेगा।  
नियुक्त कर्मचारी  
तत्संबंधी अन्य कि  
कार्यमार्ग ग्रहण कर  
साथ प्रस्तुत कर

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संवर्ग चतुर्थ श्रेणी के पदों की संयुक्त परीक्षा-2015 के परिणाम घोषित करने के पश्चात् व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक म0प्र0 व्यापम/5-प-1/2015/198/16 भोपाल दिनांक 11.01.2016 के साथ उपलब्ध कराई गई चयन सूची तथा कार्यालय द्वारा गठित स्कूटनी कमेटी के द्वारा दिनांक 21.04.2016 को प्रस्तुत पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी वेतनमान 4440-7440+1300 ग्रेड-पे के पद पर अस्थायी रूप से शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ उपस्थित होने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाती है:-

क्र.	व्यापम द्वारा प्राप्त मेरिट क्र.	Name of Candidate	Name of Father	Address	Category	Posting
1	2	3	4	5	6	7
<b>Post- PEON (Direct)</b>						
1	1	Rajendra Singh	Dashrath Singh	Gram Mehragon Kalan Post Panjra Kashiram Bareli 464668	UR/NIL/OPEN	अधिष्ठाता कार्यालय गांधीमहा
<b>Post- Cleaner (Direct)</b>						
1	1	Sury Prakash Mandloi	Shiv Narayan Mandloi	01, Tajpura Tajpura Timarni -461228	UR/NIL/OPEN	वाहन शाखा गांधीमहा
2	1	Rahul	Yashwant	Ambedkar ward front of court near high school ground Multai 460661	ST/NIL/OPEN	वाहन शाखा गांधीमहा
3	1	Manoj Kumar Kadam	Kalyan Singh Kadam	01, Patha Panihar Simiriya Tal dabra 475110	SC/NIL/OPEN	वाहन शाखा गांधीमहा
<b>Post- Sweeper (Direct)</b>						
1	2	Neeraj Tiwari	Balber Tiwari	Anag Mandi ke samne Jhansi road Karera Karera 473660	UR/NIL/OPEN	कारिषिक विभाग गांधीमहा
2	3	Vinay Kumar Pandey	Mahaveer Prasad Panday	72 Behind Gov Middle school Parsili Majhauri 486666	UR/NIL/OPEN	कारिषिक विभाग गांधीमहा
3	1	Ravindra Kanel	Nahar Singh Kanel	45 Bhurakunwa Post Kachhavada The Dhar 454446	ST/NIL/OPEN	पैथालॉजी विभाग गांधीमहा
4	2	Santosh Dhurwey	Hare Singh	Vill Banehri Post Mng School Chhinder Ghughri Ghughri 481664	ST/NIL/OPEN	पैथालॉजी विभाग गांधीमहा
5	3	Chhatar Singh Ningawal	Ram Singh Ningawal	66 Jamda Dharamrai Dahi 454331	ST/NIL/OPEN	अधिष्ठाता कार्यालय गांधीमहा छात्रवृत्ति शाखा समाग्रह गांधीमहा
6	1	Jahar Singh Dhakar	Roshan Lal Dhakar	Vill Ranipura Post Pahargarh The Joura Morena 476228	OBC/NIL/OPEN	समग्रह गांधीमहा
7	1	Shashank Sahu	Mahesh Kumar Sahu	Ward No 11 Basti Road Baihar, Baihar 481111	OBC/Visual Hand./Open	मवन सस्त्रक गांधीमहा

नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा दो वर्ष की परीवीक्षा पर की जायेगी। परीवीक्षा समाप्ति का आधार दो वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन होगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यमार्ग ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यमार्ग ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- कार्यमार्ग ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यमार्ग ग्रहण कराया जायेगा।
- उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

—निरंतर— 2

के पत्रों की संख्या 5-5-16  
मध्य प्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,  
भोपाल-462010

- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन सं. एफ-7-2/96/आप्र/1/08/96 के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्य प्रदेश का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
- नियुक्त कर्मचारी को शासकीय नियमों के अनुसार अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
  - कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - सेवायें किसी भी समय बिना कारण एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धिया) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
  - नियुक्त व्यक्ति म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे।
  - नियुक्त व्यक्ति की सेवायें स्वशासी संस्था के संवर्धन तथा संविलियन संबंधी नियम 1998 के अधीन होगी।
  - संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
  - नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
  - पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
  - नियुक्त व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - वरिष्ठता सूची का निर्धारण बाद में किया जायेगा।
  - शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
  - भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
- नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।  
अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17/05/2016

पृ.क्रमांक 13160-81/एम.सी/5/16  
प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- समांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल।
- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0, भोपाल।
- मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
- पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
- प्रभारी अधिकारी, वाहन शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जाँच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- प्रभारी अधिकारी, स्वशासी शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
- प्रशासकीय अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
- लेखापाल, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
- संबंधित.....
- आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल